संख्या- 64/2022/443/12-5-2022/सा0-1/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त उप निदेशक, कृषि,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई, 2022

विषयः- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0किसान) योजना के अनुश्रवण/प्रशासनिक मद में व्यय एवं योजना के कुशल क्रियान्वयन तथा प्राप्त धनराशि के संबंध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-13/2019/320/12-5-2019-सा०-01/2019, दिनांक 27.02.2019 के प्रस्तर-6 में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है :-

''प्रशासनिक व्यय में दी गयी धनराशि से सर्वप्रथम आउटसोर्सिंग के माध्यम से करायी गयी डेटा इन्ट्री, स्टेशनरी एवं कार्टिज पर हुआ व्यय, तहसील स्तरीय कार्यक्रम तथा अन्य किसी अत्यावश्यक प्रशासनिक व्यय का वहन सबसे पहले किया जाएगा। इसके पश्चात् शेष रही धनराशि पी0एम0-किसान सम्मान निधि के लिए आँकड़े एकत्र करने एवं प्रोसेसिंग करने में लगाए गए कर्मचारियों को जिलाधिकारी के द्वारा स्वविवेक से प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित की जायेगी।"

2- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0किसान) योजना के अन्तर्गत कृषकों के भूलेख का विवरण पी0एम0 किसान पोर्टल पर दर्ज कराये जाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कृषि निदेशालय के प्रस्ताव पर समिति द्वारा उक्त कार्य के सम्पादन में लगे लेखपाल को अधिकतम रू.2/- तक प्रति इन्ट्री, डेटा फीडिंग एवं प्रिन्टिंग हेतु कम्प्यूटर आपरेटर को अधिकतम रू.2/- तक प्रति इन्ट्री एवं लेखपाल द्वारा तैयार हार्ड कापी से फीडिंग के पश्चात् एक्सेल शीट की प्रत्येक डेटा को मिलान करने हेतु कृषि विभाग के तकनीकी सहायकों को अधिकतम रू.1/- तक प्रति इन्ट्री प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोकत ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- संयुक्त सचिव एवं CEO (पीएम-किसान), कृषि एवं किसान कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, सूचना, उ०प्र० शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, शासन।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० शासन।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र सिंहं
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।